रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II–Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 374] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 1978/श्रावण 12, 1900
No. 374] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 1978/SRAVANA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1978

का० आ० 488 (अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री वाटल नागराज ने, जो मार्च, 1972 में कर्नाटक विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन में बंगलौर शहर (कर्नाटक) के चमराजपेट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारम्भ से पूर्व थी, छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हता उपगत कर ली है।

और निरर्हता की उक्त अवधि अवसित नहीं हुई है ;

और उक्त श्री वाटल नागराज ने उक्त अवधि के अनवसित भाग के लिए निरर्हता को हटाए जाने के निमित्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192(1) (ख) के अधीन राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत की है;

और राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अनुसरण में उक्त याचिका के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श किया है।

और निर्वाचन आयोग की यह राय है कि (उपाबंध देखिए) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें याचिकाकार द्वारा उपगत निरर्हता की छह वर्ष की अवधि के अनवसित भाग के लिए हटाया जाना न्यायसंगत है

अतः अब, मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के साथ पठित संविधान अनुच्छेद 192(2) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री वाटल नागराज द्वारा उपगत छह वर्ष की अवधि को रिहता उक्त अवधि के अनवसित भाग के लिए हटा दी जाए ?

राष्ट्रपति भवन, नीलम संजीव रेड्डी
नई दिल्ली 27 जुलाई, 1978 भारत का राष्ट्रपति

उपाबन्ध

भारत का निर्वाचन आयोग

भारत के विधि आयोग के समक्ष

श्री वाटल नागराज की, भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरर्हता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (2) और (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192 के अधीन अर्जी के मामले में :—

यह अर्जी श्री वाटल नागराज ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192(1) (ख) के अधीन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष फाइल की है। इसका उद्देश्य यह है कि उसकी वह निरर्हता हटा दी जाए जो उसने बंगलौर नगर के चामराजपेट सभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधान सभा के लिए मार्च, 1972 में हुए साधारण निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण करने के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप उपगत की है।

2. अर्जीदार द्वारा राष्ट्रपति को फाइल की गई यह पाँचवीं अर्जी है। यह अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग को निर्देशित की गई है।

3. निरर्हता हटाए जाने के लिए श्री वाटल नागराज ने इससे पूर्व जो अर्जियाँ फाइल की थीं, उन्हें निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया था।

4. श्री नागराज को जिन विभिन्न भ्रष्ट आचरणों का दोषी पाया गया था और 13 अप्रैल, 1976 को आयोग ने श्री नागराज की अर्जी के नामंजूर किए जाने के लिए जो कारण बताए थे उन्हें विस्तारपूर्वक फिर से दोहराना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि श्री नागराज को जिन भ्रष्ट आचरणों का दोषी पाया गया था उनका संबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (2), 123(3), 123(3क) और 123(6) से है।

इन भ्रष्ट आचरणों के लिए निरर्हता की छह वर्ष की अवधि की गणना 28 नवम्बर, 1970 से अर्थात् उस दिन से की जानी थी जब उच्च न्यायालय द्वारा उससे पूर्व मंजूर किया गया रोक आदेश हटा लिया गया था।

5. इस अर्जी में तथा अर्जीदार की ओर से उसके काउंसेल द्वारा पेश की गई लिखित और मौखिक दलीलों में निरर्हता अवधि के अनवसित भाग के लिए श्री नागराज की निरर्हता को हटाए जाने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात् :-

(1) अर्जीदार दो साधारण निर्वाचन नहीं लड़ सका है – इनमें से एक मार्च, 1977 में लोक सभा के लिए हुआ साधारण निर्वाचन है और दूसरा फरवरी, 1978 में कर्नाटक विधान सभा के लिए हुआ साधारण निर्वाचन है ;

(2) वह निरर्हता अवधि का अधिकांश भाग अर्थात् 4 वर्ष 5 महीने तक इस दंड को भोग चुका है और अब उस निरर्हता अवधि का अनवसित भाग केवल 1 वर्ष और 7 महीने है। हर हालत में उनकी निरर्हता लोक सभा के लिए और कर्नाटक विधान सभा के लिए आगामी साधारण निर्वाचन से पूर्व स्वतः समाप्त हो जाएगी ;

(3) निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नई धारा 8क के प्रतिस्थापित किए जाने के पश्चात स्थिति यह है कि जो व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया है वह पहले की तरह छह वर्ष की अवधि के लिए स्वतः निरर्हित नहीं होगा और उसकी निरर्हता का प्रश्न राष्ट्रपति को यह अवधारण करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि हाँ, तो कितनी अवधि के लिए। अर्जीदार का मामला वर्तमान धारा 8क के की उपधारा (1) के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि वह अधिनियम के उस समय विद्यमान, उपबंधों के अधीन छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित हो चुका, था फिर भी राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग, अधिनियम की संशोधित धारा 8क (1) के कम कड़े उपबंधों को न्यायोचित रूप से ध्यान में रख सकते हैं और निरर्हता के हटाए जाने के लिए अर्जीदार के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

(4) अर्जीदार एक समाज सेवक है और वह 35 वर्ष का एक नवयुवक है। वह राजनीति के क्षेत्र में पिछले 14 वर्षों से सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और उसने 1967 तथा 1972 में हुए निर्वाचनों में विजय प्राप्त की है। 1972 के साधारण निर्वाचन के पश्चात् उसके निर्वाचन के आपस्त कर दिए जाने से रिक्त हुए स्थान में अर्जीदार द्वारा समर्थित अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया गया था।

(5) विभिन्न भ्रष्ट आचरणों का दोषी पाए जाने के पश्चात् उसने ऐसी किसी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है कि वह पैम्पलेटों द्वारा या अन्य रूप से, तमिल भाषी लोगों के विरुद्ध शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा दे रहा है। उसने उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार नहीं किया था कि उसने लोगों से ऐसी अपीलें की जिनका प्रभाव तमिल भाषी लोगों के विरुद्ध शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना था। फिर भी अपनी सद्भावना के प्रतीक स्वरूप अर्जीदार ने आयोग के समक्ष यह वचन दिया कि वह ऐसे किसी आन्दोलन से या अपीलों से कोई संबंध नहीं रखेगा जिसका प्रभाव लोगों के बीच, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना उत्पन्न करना हो (जो विधि द्वारा निषिद्ध है) तथा यह कि वह अच्छी और स्वस्थ्य परम्पराओं के आधार पर देश की भलाई के लिए केवल ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्य करेगा जो कर्नाटक के लोगों की भलाई और समृद्धि के हित में हों।

6. आयोग के समक्ष निवेदन किए गए उन विभिन्न आधारों पर, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, विचार करते समय प्रारंभ में ही यह उल्लेखनीय है कि आयोग, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वास्तविक निष्कर्षों पर विचार नहीं करेगा और वह उस साक्ष्य के संबंध में जिसकी उन न्यायालयों में चर्चा हुई थी, उनकी जाँच करेगा आयोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों के औचित्य के संबंध में निर्णय नहीं दे सकता, उन निष्कर्षों को उसी रूप में ग्रहण करना होगा जिस रूप में वे हैं। आयोग को केवल यह देखना होगा कि क्या श्री वाटल नागराज के मामले में उन घटनाओं के कारण जो उनकी पहले की अर्जियों के अस्वीकार किए जाने के पश्चात् हुई, कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण अनवसित अवधि के लिए उनकी निरर्हता अवधि में कमी कर दी जाए।

7. भ्रष्ट आचरण के आधार पर 6 वर्ष की अवधि के लिए निरर्हता अधिरोपित करने में मूल विचार यह प्रतीत होता है कि किसी साधारण निर्वाचन में ऐसे भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले किसी व्यक्ति को किसी पश्चात्वर्ती साधारण निर्वाचन में जो साधारणतः 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् होता है निर्वाचन लड़ने की इजाजत न दी जाए। इसी दृष्टि से अर्जीदार, जिसने अभी तक 4 वर्ष 7 मास की अवधि के लिए निरर्हता भोग ली है, मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन और मार्च, 1978 में हुए राज्य सभा निर्वाचन में निर्वाचन नहीं लड़ सका है। अर्जीदार एक नवयुवक और सफल राजनीतिज्ञ है। वह 1967 और 1972 में हुए निर्वाचनों में विजयी हुआ है। न्यायालय के पूर्ववर्ती निष्कर्षों के परिणामस्वरूप उसने काफी मूल्य चुका दिया है और वह पर्याप्त दण्ड भोग चुका है।

8. उक्त कारणों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन मैं, राष्ट्रपति को अपनी राय देता हूँ कि अर्जीदार श्री वाटल नागराज द्वारा उपगत निरर्हता, उक्त उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति के विनिश्चय की तारीख से हटा दी जाए।

एस० एल० शकधर,
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,
14 अप्रैल, 1978

[सं० एफ० 7(24)/78-वि०II]

एस० हरिहर अय्यर, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 1978

S.O. 488(E).—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas Shri Vatal Nagaraj, the returned candidate from the Chamarajpet Constituency in Bangalore City (Karnataka) at the general election held in March, 1972 to the Karnataka Legislative Assembly, has incurred disqualification for a period of six years under section 8A of the Representation of the People Act, 1951, as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975);

And whereas the said period of disqualification has not expired;

And whereas the said Shri Vatal Nagaraj has submitted a petition to the President under article 192(1)(b) of the Constitution read with section 8A(2) of the Representation of the People Act, 1951 for the removal of the disqualification for the unexpired portion of the said period;

And whereas the President has consulted the Election Commission on the said petition in purguance of article 192(2) of the Constitution read with section 8A of the Representation of the People Act, 1951;

And whereas the Election Commission is of opinion (vide annexure) that circumstances exist which would justify the removal of the disqualification incurred by the petitioner for the unexpired portion of the period of six years;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the power conferred on me under article 192 (2) of the Constitution read with section 8A of the Representation of the People Act, 1951 do hereby decide that the disqualification for a period of six years incurred by Shri Vatal Nagaraj be removed for the unexpired portion of the said period.

NEELAM SANJIVA REDDY, President of India

Rashtrapati Bhavan,

New Delhi, the 27th July, 1978

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

IN THE MATTER OF : Petition under Article 192 of the Constitution read with section 8A(2) and (3) of the Representation of the People Act, 1951 of Shri Vatal Nagaraj in regard to the disqualification grounds of corrupt practices.

This is a petition under Article 192(1)(b) of the Constitution read with section 8A(2) of the Representation of the People Act, 1951 to the President of India filed by Shri Vatal Nagaraj for the removal of the disqualification incurred by him as a result of the findings of corrupt practices at the general election held in March, 1972 to the Legislative Assembly of Karnataka from Chamarajapet Assembly Constituency in Bangalore City.

2. This is the fifth petition of the petitioner made to the President. The petition has been referred to the Election Commission under Article 192(2) of the Constitution read with section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951.

3. The earlier petitions of Shri Vatal Nagaraj for the removal of disqualification were rejected by the President on the advice of the Election Commission.

4. It is unnecessary to recapitulate here in detail the various corrupt practices found to have been committed by Shri Nagaraj and the reasons given in the opinion tendered by the Commission on 13th April, 1976 for the rejection of the petition of Shri Nagaraj. It is sufficient to say that the corrupt practices of which Shri Nagaraj had been found guilty related to section 123(2), 123(3), 123(3A) and 123(6) of the Representation of the People Act, 1951.

The six year period of disqualification for the commission of these corrupt practices was to be reckoned from 28th November 1973, i.e., the date on which the stay earlier granted by the High Court stood vacated.

5. Both in this petition and the written and oral submissions made by the counsel on behalf of the petitioner, the following grounds have been urged for the removal of the disqualification of Shri Nagaraj for the unexpired portion :—

(i) The petitioner has been prevented from contesting two general elections, one to the House of the People held in March, 1977 and the other to the Legislative Assembly of Karnataka held in February, 1978;

(ii) He has already suffered a major portion of the period of disqualification, i.e., 4 years and 5 months and the unexpired period of his disqualification is for about only 1 year and 7 months. In any case, his disqualification will be automatically removed before the next general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of Karnataka.

(iii) After the substitution of the new section 8A of the Representation of the People Act, by the 1951 by the Election Laws (Amendment) Act, 1975, a person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 of the R. P. Act, 1951 will not automatically incur disqualification for a period of 6 years as before, and the question of his disqualification has to be referred to the President for his determination as to whether such a person shall be disqualified and if so, for what period. Though the case of the petitioner is not covered under sub-section (1) of the existing section 8A, because he had already incurred disqualification for a period of 6 years under the then existing provisions of the Act, the President and the Election Commission may be justified in taking into account the less rigid provisions in the amended section 8A(1) of the Act and exercise their discretion in favour of the petitioner for the removal of the disqualification.

(iv) The petitioner is a social worker and a young man of 35 years. He has been in active politics for the last 14 years and won the elections held in 1967 and 1972. In the vacancy caused by his election being set aside after 1972 general election, the candidate supported by the petitioner was declared elected.

(v) After he has been found guilty of the various corrupt practices, he has not given any room for complaint that he is promoting feelings of enmity or hatred against the Tamil-speaking people either by way of pamphlet or otherwise. Though he did not admit before the High Court that he indulged in appeals having the effect of promoting feelings of enmity or hatred against the Tamil-speaking people, yet as an index of his bonafides, the petitioner gave an undertaking before the Commission that he shall not associate himself with any campaign or appeals having the effect of promoting feelings of enmity or hatred among people on ground of community or language as prohibited by the law, but shall carry on only social, cultural and political activities on sound and healthy traditions for the good of the country consistent with the well-being and prosperity of the people of Karnataka.

6. In examining the various grounds urged before the Commission as enumerated above, it must be pointed at the outset that the Commission would not go into the actual findings and test them with reference to the evidence discussed by the High Court and the Supreme Court. The Commission cannot sit in judgment over the findings of the High Court and the Supreme Court which must be taken as they are for our purpose. The Commission will have to see only whether there are any mitigating circumstances in the case of Shri Vatal Nagaraj for the removal of the disqualification for the unexpired portion because of the events that followed the rejection of his earlier petitions.

7. The basic idea of imposing disqualification on the ground of corrupt practices for a period of 6 years seems to be that a person found guilty of any such corrupt practice at a general election should not be allowed to contest at a subsequent general election which is normally due after a period of 5 years. Having regard to this consideration, the petitioner who has suffered a disqualification for a period of 4 years and 7 months so far has been prevented from contesting a general election to the House of the People held in March, 1977, a general election to the Legislative Assembly of Karnataka in February, 1978 and also election to the Rajya Sabha in March, 1978. The petitioner is a young man and a successful politician, having won the elections held in 1967 and 1972. He had already paid a heavy price as a result of the earlier findings of the Court and thereby he has been adequately punished.

8. For the above reasons, under Article 192(2) of the Constitution read with section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951, I hereby tender my opinion to the President that the disqualification incurred by the petitioner, Shri Vatal Nagaraj, may be removed with effect from the date of the decision of the President under the said provisions.

Sd/-

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India

[No. F. 7(24)/78-Leg. II]

S. HARIHARA IYER, Secy.

New Delhi,
14th April, 1978.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978